



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2020/807

दिनांक :- 28/07/2020

प्रति,

प्राचार्य,

नवसम्बत विधि महाविद्यालय,

22/02, लालपुर, नागझीरी, देवास रोड, उज्जैन।

विषय :- सत्र 2020-21 से महाविद्यालय में संचालित बी.सी.ए. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुमति।

संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/589/2020, दिनांक 01.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, आपके द्वारा सत्र 2020.21 से बी.सी.ए. पाठ्यक्रम का संचालन बंद किये जाने का निवेदन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का प्रकरण विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.03.2020 में प्रस्तुत किया गया जिसमें "निर्णय लिया गया कि, नवसम्बत विधि महाविद्यालय, उज्जैन में सत्र 2020-21 से बी.सी.ए. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही महाविद्यालय को यह भी निर्देशित किया जाये कि, यदि उपरोक्त पाठ्यक्रम का कोई शुल्क शेष पाया जाता है तो महाविद्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।"

अतः सत्र 2021 से महाविद्यालय में संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रम को बंद किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि, यदि भविष्य में अंकेक्षक (आडिट) द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम का कोई शुल्क शेष बताया जाता है तो महाविद्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा एवं महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम पुनः प्रारंभ किया जाता है तो शासन की अनुमति एवं विश्वविद्यालय से नवीन सम्बद्धता प्राप्त करना होगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव

दिनांक :- 28/07/2020

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2020/808

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय परिसर, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, शासकीय कालीदास कन्या स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ है कि, उक्त महाविद्यालय को ऑनलाईन पोर्टल से विलोपित करने का कष्ट करें।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर/वेबसाइट की ओर भेज कर निवेदन है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
9. की ओर सूचनार्थ।


उपकुलसचिव(अकादमिक)